रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 839] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2018/अग्रहायण 7, 1940
No. 839] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2018/AGRAHAYANA 7, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

विषय: अधिसूचना सं. 1/1/2010-एडब्ल्यूडी (पीटी) दिनांक 06.09.2018 का शुद्धि पत्र।

सा.का.नि. 1141(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम, 2018 के सम्बन्ध में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 844(अ) संबंधी भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/1/2010-एडब्ल्यूडी(पीटी) दिनांक 06.09.2018 के हिन्दी अनुवाद में निम्नलिखित परिवर्तनों को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए:-

नियम	अधिसूचना सं.1/1/2010-ए डब्ल्यू डी (पीटी) दिनांक 6.9.2018 के साथ सा.का.नि. 844(अ) का हिंदी रूपांतरण	इसे इस प्रकार पढ़ा जाए
4(2)	पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रारूप-। में उसमें अपेक्षित जानकारी देते हुए और **पांच सौ रूपये** की अप्रतिदेय फीस के साथ राज्य बोर्ड को किया जाएगा।	पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रारूप-। में, उसमें अपेक्षित जानकारी देते हुए और **पांच हजार रूपये** की अप्रतिदेय फीस के साथ राज्य बोर्ड को किया जाएगा।
9(8)	जहां अपील नामंजूर कर दी गई है, वहां राज्य बोर्ड दुकान को सील कर सकेगा और विक्रय के लिए प्रदर्शित किये गए या रखे गए पशुओं को अधिहृत कर सकेगा तथा तब अधिहृत पशु के साथ **उपनियम (5)** में उपवर्णित रीति से व्यवहार किया जाएगा।	जहां अपील नामंजूर कर दी गई है, वहां राज्य बोर्ड दुकान को सील कर सकेगा और विक्रय के लिए प्रदर्शित किये गए या रखे गए पशुओं को अधिहृत कर सकेगा तथा तब अधिहृत पशु के साथ **उपनियम (3)** में उपवर्णित रीति से व्यवहार किया जाएगा।

16	रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण फीस के रूप में पालतू पशु दुकान से प्राप्त राजस्व का प्रबंधन **राज्य द्वारा** इन नियमों के प्रवर्तन करने के लिए अपनी गतिविधियां चलाने के लिए किया जायगा।	रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण फीस के रूप में पालतू पशु दुकान से प्राप्त राजस्व का प्रबंधन **राज्य बोर्ड द्वारा** इन नियमों के प्रवर्तन करने के लिए अपनी गतिविधियां चलाने के लिए किया जायगा।

2. राजपत्र अधिसूचना की अन्य अन्तर्वस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

[फा.सं. 1/1/2010-एडब्ल्यूडी (पीटी)]

मंजू पांडेय, संयुक्त सचिव (एडब्ल्यू)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th November, 2018

Subject: Corrigendum to Notification No. 1/1/2010-AWD(pt.) dated 06.09.2018.

G.S.R. 1141(E).—In the Notification No. 1/1/2010-AWD(pt.) dated 06.09.2018 of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, bearing G.S.R. 844(E) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) regarding the Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, the following changes in the Hindi version may be read as follow:—

Rule	**Hindi version of G.S.R. 844(E) with Notification No. 1/1/2010-AWD(pt.) dated 06.09.2018**	**May be read as**
4(2)	An application for registration of pet shop shall be made to the State Board in Form-I providing all information required therein and accompanied with a non-refundable fee of **five hundred rupees**.	An application for registration of pet shop shall be made to the State Board in Form-I providing all information required therein and accompanied with a non-refundable fee of **five thousand rupees**.
9(8)	Where the appeal has been rejected, the State Board may seal the shop, and confiscate the animals displayed or housed for sale and the confiscated animals shall then be dealt with in the manner set out in **rule 5**.	Where the appeal has been rejected, the State Board may seal the shop, and confiscate the animals displayed or housed for sale and the confiscated animals shall then be dealt with in the manner set out in **rule 3**.
16	The revenue received from the pet shops as registration and renewal fee shall be managed by the **State** for running their activities for enforcing these rules.	The revenue received from the pet shops as registration and renewal fee shall be managed by the **State Board** for running their activities for enforcing these rules.

2. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

[F. No. 1/1/2010-AWD (Pt.)]

MANJU PANDEY, Jt. Secy. (AW)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.11.29 17:37:21 +05'30'